न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 152 सन 2009

अनवान :–

1. प्रितिमसिह पुत्र सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मु0 ज्ञानोंबाई पुत्री सुरजनसिह पत्नि गुरबक्ससिह जाति रायसिख निवासी रानीया तहसील व जिला सिरसा
2. गुरदेवसिह पुत्र सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
3. टेलसिह पुत्र गुरदतसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुमित्रा पत्नि टहलसिह पुत्रवधु गुरदतसिह जाति रायसिख साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 319/381(39) किला न0 16/0.228 ,17 ता 14/2.024 ,25/0.227 , प0न0 319/3852(42) किला न0 1 ता 4 /1.012हैक 5/0.228 ,81/19 की 0.076हैक गै0मु0 खाला कुल 3.795हैक भूमि में वादी 110 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 90 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 60 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 का विवादित भूमि मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है व रकमराज जमा करवाते आ रहे है। भीराबाई बेवा सुरजनसिह एवं प्रेमसिह पुत्र सुरजनसिह फोत हो चुके है भीराबाई के जायज वारिस एव हकदार वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ,2 ही है एवं प्रेमसिह लावल्द फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसन एवं हकदार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक पुरूष सदस्य दोनो भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ही है वो ही उसके हक हिस्सा की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

विवादित भूमि आज भी मृतक भीराबाई एव प्रेमसुख के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिये वाद अपने हक हिससा की धोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है इसलिये लगान व सीव का झगडा रहता है इसलिये वाद अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद की मद संख्या 1 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एव खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये वकालतनामा एवं जबाब पेश करने के काफी अवसर पेश करने के उपरानत भी जबाब व वकालतनामा पेश नही किया गया जबाब बन्द किया गया प्रतिवादी संख्या 5 को सम्मन की तामिल होने के उपरान्त भी

न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य में वादी के ब्यान करवाये गये जो शामिल किये जाकर वकील वादी का सुना गया ।

वादी के अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 319/381(39) किला न0 16/0.228 ,17 ता 14/2.024 ,25/0.227 , प0न0 319/3852(42) किला न0 1 ता 4 /1.012हैक 5/0.228 ,81/19 की 0.076हैक गै0मु0 खाला कुल 3.795हैक भूमि में वादी 110 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 90 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 60 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 का विवादित भूमि मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है व रकमराज जमा करवाते आ रहे है। भीराबाई बेवा सुरजनसिह एवं प्रेमसिह पुत्र सुरजनसिह फोत हो चुके है भीराबाई के जायज वारिस एवं हकदार वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ,2 ही है एवं प्रेमसिह लावल्द फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसन एवं हकदार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक पुरूष सदस्य दोनो भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ही है वो ही उसके हक हिस्सा की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

विवादित भूमि आर्ज भी मृतक भीराबाई एवं प्रेमसुख के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिये वाद अपने हक हिससा की धोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है इसलिये लगान व सीव का झगडा रहता है इसलिये वाद अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है। अतः वादी का वाद मद संख्या 1 के अनुसार डिक्री किया जाकर खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग कायम करने के आदेश फरमावे।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 13 केएनएन के प0न0 319/381(39) किला न0 16/0.228 ,17 ता 14/2.024 ,25/0.227 , प0न0 319/3852(42) किला न0 1 ता 4 /1.012हैक 5/0.228 ,81/19 की 0.076हैक गै0मु0 खाला कुल 3.795हैक भूमि में वादी 110 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 90 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 60 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी का कथन है कि प्रेमसिह लावल्द फोत व मीराबाई दोनो फोत जाने का कथन किया है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है जो प्रेमसिह/मीराबाई की भूमि पाने के अधिकारी है वादी ने प्रेमसिह व मीराबई के देहान्त होने के कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके की प्रेमसिह/मीराबाई का देहान्त हो गया है ओर उसके कोई वारिस नही है अर्थात कोई सन्तान नही है मात्र कथनों के आधार पर किसी खातेदार को मृतक मान कर उसकी कृषि भूमि अन्य के नाम दर्ज नही की जा सकती है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रेमसिह 60 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे लावल्द फोत का कथन कर उसके हिस्से की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है वादी ने केवल प्रेमसिह लावल्द फोत होने का कथन किया गया है मात्र वादी के कथनों के आधार पर प्रेमसिह को लावल्द फोत होना नही माना जा सकता है वादी का दायित्व था कि यदि प्रेमसिह लावल्द फोत हो चुका है तो उसके समर्थन में साक्ष्य सबुत पेश करता जो वादी ने नही किये गये है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. प्रितिमसिह पुत्र सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मु0 ज्ञानोंबाई पुत्री सुरजनसिह पत्नि गुरबक्ससिह जाति रायसिख निवासी रानीया तहसील व जिला सिरसा
2. गुरदेवसिह पुत्र सुरजनसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
3. टेलसिह पुत्र गुरदतसिह जाति रायसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुमित्रा पत्नि टहलसिह पुत्रवधु गुरदतसिह जाति रायसिख साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 152 सन 2009 निर्णय दिनांक– 16/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते